आदेश

संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश संख्या–5063/भण्डार/बजट–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा/2015–16, दिनांक 12.10.2015 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–940/2015 के अन्तर्गत अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से कृषि एवं औद्यानिक फसलों को हुई क्षति का प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2013–मंत्रि परिषद–00– आयोजनागत–105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान–05–मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान–00–00 की मानक मद 20–सहायक अनुदान में जनपद अल्मोड़ा को रू0 1.57 करोड़ (एक करोड़ सतावन लाख) मात्र का धनावटंन प्राप्त हुआ है।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा आवंटित धनराशि को जनपद के समस्त तहसीलदारों को निम्न शर्तों के अधीन आवंटित/स्वीकृत करते हुये व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0सं0	तहसील का	स्वीकृत धनराशि	खाता संख्या	बैंक का नाम	आई0एफ0एस0 कोड
1–	अल्मोड़ा	रू0 12,00,032–00	33915523451	एस0बी0आई0, अल्मोड़ा	SBIN0000605
2–	जैंती	रू0 15,78,126–00	33897380927	एस0बी0आई0	SBIN0009851
3–	भनोली	रू0 20,76,068–00	11654310133	एस0बी0आई0	SBIN0001574
4–	लमगड़ा	रू0 21,51,227–00	34786728443	एस0बी0आई0, लमगड़ा	SBIN0005975
5–	सोमेश्वर	रू0 21,48,024–00	10607557232	एस0बी0आई0	SBIN0003390
6–	रानीखेत	रू0 18,02,345–00	33895713371	एस0बी0आई, रानीखेत	SBIN0000704
7–	सल्ट	रू0 21,82,192–00	33914235931	एस0बी0आई0, सल्ट	SBIN0004759
8–	चौखुटिया	रू0 6,91,432–00	31465220642	एस0बी0आई0,	SBIN0002534
9–	भिकियासैण	रू0 3,30,082–00	33910427922	एस0बी0आई0, भिकियासैण	SBIN0014200
10–	द्वाराहाट	रू0 15,40,472–00	004100100005508	अल्मोड़ा अर्बन को0 बैं0 लि0, द्वाराहाट	AUCB0000005
	योग–	रू0 1,57,00,000–00	(एक करोड़ सतावन लाख) मात्र		

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित तहसीलदार का उत्तरदायित्व होगा।

(2) तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रभावितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि का प्रगति विवरण प्रत्येक तीन दिन के अन्तराल में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रभावितों की सम्यक पहचान एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाये। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

(4) व्यय करते समय मितव्ययता के सन्दर्भ में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) धनराशि का नियमानुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धितों को वितरण करते हुये स्टाम्पयुक्त प्राप्ति रसीद, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

ह0/सविन बंसल,
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या– 1142 / तेरह– 05 / 2014–15, दिनांक– 19 नवम्बर 2015

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एंव हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

4– संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

5– मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

6– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत मद में राहत राशि उपपलब्ध कराये जाने हेतु नियमानुसार शीघ्रताशीघ्र राहत सहायता वितरित करवाना सुनिश्चित करें।

7– समस्त तहसीलदार, जनपद अल्मोड़ा/नायब तहसीलदार, लमगड़ा को इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार शीघ्रताशीघ्र राहत सहायता वितरित करवाना सुनिश्चित करें।

8– मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा व जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि प्रभावितों में राहत सहायता शीघ्रताशीघ्र वितरित किये जाने के लिये राजस्व विभाग के अधिकारी/ कर्मचारियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

9– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।

10– जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।

11– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा।

12– प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा जिलाधिकारी महोदय के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, अल्मोड़ा में खोले गये खाते में ऑनलाईन जमा की गई धनराशि रू0 1.57 करोड़ (एक करोड़ सतावन लाख) मात्र को उक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित तहसीलदारों/ना0 तहसीलदारों के खातों में अन्तरित किये जाने की कार्यवाहीं करें।

(ईला गिरि)
अपर जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

19-12